क्रम-संख्या–333(क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 22 दिसम्बर, 2015

पौष 1, 1937 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1

संख्या 4781/सोलह-1–14(34)-2014

लखनऊ, 22 दिसम्बर, 2015

अधिसूचना

सा0प0नि0–76

उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, सन् 2006) की धारा 14 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विनियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विनियमावली, 2015 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत होगी।

परिभाषायें

2–जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस विनियमावली में–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 से है;

(ख) "बोर्ड" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद से है;

(ग) "अध्यक्ष" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन गठित प्रवेश व शुल्क नियतन समिति के अध्यक्ष से है;

(घ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(च) "संस्था" का तात्पर्य विश्वविद्यालय या बोर्ड से सम्बद्ध किसी सहायता प्राप्त या निजी संस्था से है;

(छ) "नियमावली" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) (समिति का गठन) नियमावली, 2008 से है;

(ज) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य डा0 अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश से है;

समिति का गठन धारा 14(2)(क)

3– समिति में निम्नलिखित होंगे :–

(1) प्रमुख सचिव/सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उ0प्र0 सरकार — अध्यक्ष

(2) सचिव/विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 सरकार — सदस्य

(3) विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार (डिग्री स्तर पाठ्यक्रम हेतु)/निदेशक, प्राविधिक शिक्षा (डिप्लोमा स्तर पाठ्यक्रम हेतु) — सदस्य

फीस अवधारण की रीति (धारा 14(2)(ख)

4–(1) समिति ऐसी संस्थाओं के लिए जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/भारतीय फार्मेसी परिषद/आर्किटेक्चर परिषद आदि द्वारा विहित मानकों, दिशा निर्देशों तथा मापदण्ड का पालन करती है; शिक्षण फीस और विकास प्रभार को सम्मिलित करते हुए फीस नियत कर सकती है।

(2) समिति का अध्यक्ष मानक फीस के नियतन में सहायता हेतु उप–समिति का गठन कर सकता है। उप समिति में उप समिति के अध्यक्ष सहित छह से अनधिक सदस्य होंगे।

(3) ऐसी संस्था, जो उपविनियम (1) में निर्दिष्ट किसी विर्निदिष्ट, उपयोगी एवं रोजगारपरक पाठ्यक्रम को संचालित कर रही है या किसी विशेष पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण में आवश्यक नवीनतम उपकरणों को छात्रहित के लिए क्रय कर रही है या किसी अन्य कारण से मानक फीस से उच्चतर फीस नियत करने के लिए समिति से अनुरोध करती है तो तकनीकी शिक्षा की वृद्धि और इसकी गुणवत्ता की वृद्धि के हितलाभ से समिति संस्था के उच्चतर फीस के अनुरोध पर विचार करेगी। अग्रतर यह भी कि यदि कोई संस्था धर्मार्थ प्रकृति की संस्था या परोपकारी कार्यो में संरत संस्था या किसी अन्य कारण से मानक फीस से निम्नतर फीस नियत करने का अनुरोध करती है तो समिति संस्था के निम्नतर फीस के अनुरोध पर विचार करेगी। समिति अंतिम शुल्क निर्धारण से पूर्व ऐसी संस्था को अपना पक्ष रखने का अवसर देगी।

(4) समिति निम्नलिखित को ध्यान में रखकर फीस नियत करेगी :–

(एक) <u>डेप्रीसिएशन पर व्ययभार :–</u> स्ट्रेट लाइन मैथेड का उपयोग किया जायेगा, और कम्पनी अधिनियम, 1956 में उल्लिखित पुनरीक्षित दरों को ध्यान में रखा जायेगा।

(दो) <u>विज्ञापन पर व्ययभार :–</u> संस्थानों द्वारा नवीन पाठ्यक्रमों अथवा संस्था सम्बन्धी गतिविधियों को जनसाधारण तक पहुँचाने हेतु समाचार पत्रों/होर्डिंग/पत्रिकाओं आदि में विज्ञापन प्रकाशित कराये जाने पर होने वाले संस्था के कुल व्यय का अधिकतम् 1 प्रतिशत अनुमन्य होगा।

(तीन) <u>विकास पर व्ययभार–</u> विकास प्रभार हेतु अधिकतम 10 प्रतिशत की धनराशि अनुमन्य की जायेगी।

(चार) <u>मंहगाई पर व्यय भार–</u> गत तीन वर्षो में औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मंहगाई के कारण भविष्य में व्ययभार में सम्भावित व्यय वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए आगामी तीन वर्षों के लिए आधार माना जायेगा।

(पाँच) <u>वेतनमद पर व्ययभार:–</u> संस्था के शैक्षणिक/गैर–शैक्षिक स्टाफ को वर्ष में वेतन के रूप में दी गयी धनराशि, टी0डी0एस0 कटौती का प्रमाण पत्र, फार्म 16 एवं नियुक्ति पत्र तथा वेतन भुगतान के प्रमाण पत्र को संज्ञान में लिया जायेगा।

(छः) <u>ब्याज पर व्ययभार</u> :– संस्थान द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से यदि अवसंरचना एवं अन्य फिक्सड कैपिटल एसेट्स के लिए ऋण लिया गया है एवं उस पर ब्याज का भुगतान संस्था द्वारा किया गया है तो ब्याज की अधिकतम 25% धनराशि या रू0 3,000/– डिग्री पाठ्यक्रम, रू0 1000.00 डिप्लोमा पाठ्यक्रम को प्रति स्वीकृत छात्र संख्या, जो भी कम हो, व्ययभार में सम्मिलित किया जायेगा :

परन्तु यह कि इस मद में यदि संस्था द्वारा लिये गये ऋण का उपयोग छात्रावास एवं अन्य ऐसे किसी कार्य में किया गया है, जिसके लिए छात्र/छात्राओं से अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है तो लिए गये ऋण पर ब्याज की धनराशि व्ययभार में सम्मिलित नहीं की जायेगी।

(सात) डायरेक्ट आवर्ती व्यय का व्ययभारः– संस्था द्वारा पुस्तकालय में छात्रों को सुविधा प्रदान करने हेतु कय किये गये पीरिआडिकल्स एवं जर्नल्स की धनराशि को आवर्ती व्यय मानते हुए इस नद में सम्मिलित किया जायेगा परन्तु संस्था द्वारा कय की गयी पुस्तकों की धनराशि को पूँजीगत व्यय माना जायेगा।

(आठ) कुल व्ययभार प्रतिछात्रः– संस्थाओं द्वारा विभिन्न मदों में व्यय हो रही कुल धनराशि को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत कुल छात्रों की संख्या से विभाजित करके प्रति छात्र व्यय की गणना की जायेगी।

(नौ) विद्युत पर व्ययभार :– संस्था द्वारा विद्युत व्यय पर होने वाला कुल व्यय स्वीकार किया जायेगा कि विद्युत का उपयोग केवल छात्रहित में शैक्षिक भवन एवं प्रयोगशालाओं में उपकरणों पर किया जायेगा और छात्रावास, स्टाफ आवास एवं मेस में विद्युत आपूर्ति पर होने वाले व्यय को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

5–विनियम 4 के उपविनियम (3) में यथाउल्लिखित संस्था द्वारा फीस नियत करने हेतु अपना आवेदन पत्र 30 अक्टूबर तक समिति को उपलब्ध कराया जायेगा तथा आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे:– मानक शुल्क से अधिक शुल्क नियत करने हेतु आवेदन पत्र

(एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया/काउन्सिल ऑफ आर्कीटेक्चर आदि द्वारा नियंत्रित तथा विनियमित करने वाले अखिल भारतीय स्तर की संस्था द्वारा जारी किया गया प्राधिकार/अनुज्ञा पत्र।

(दो) सोसाइटी के पंजीकरण एवं इसके नवीनीकरण का प्रमाण–पत्र।

(तीन) प्राविधिक शिक्षण संस्था प्रारम्भ करने के लिए परियोजना प्रतिवेदन की एक प्रति।

(चार) संस्था, उसके हक, स्वामित्व, क्लास रूम की संख्या दर्शाते हुए प्रशासकीय भवन, पुस्तकालय/वाचनालय, अंतवासी खेल (यदि कोई हो), के लिए उपलब्ध कक्ष, खेल मैदान/प्रयोगशालाएं तथा हास्टल, मेस एवं साइट भवन के साथ अन्य सामान्य उपयोगिता के लिए चिन्हित क्षेत्र द्वारा उपलब्ध भौतिक अवसंरचना सुविधाएं।

(पांच) पुस्तकालय सुविधाएं–विषयवार, संकायवार तथा सामान्य अध्ययन के लिए पुस्तकों, जरनल्स, पीरियाडिकल्स आदि की संख्या।

(छः) वाचनालय सुविधाएं–दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्रिकाओं सामयिक प्राविधिक पत्रिकाओं की संख्या तथा संस्था में अभिदत्त साहित्य के साथ ई–जनरल्स।

(सात) प्रयोगशाला की सुविधाएं–प्रयोगशाला में उपलब्ध उपस्करों तथा उपकरणों के विषय में जानकारी।

(आठ) जिस शैक्षिक सत्र के लिए शुल्क निर्धारण किया जायेगा, उससे पूर्व की तीन वर्षों की लेखा परीक्षा की हुई संस्था की बैलेन्स सीट प्रस्तुत की जायेगी।

(नौ) संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित शिक्षा के समान मदों के उत्पादन में लगे राज्य उपकम, लोक/निगमित निकाय के साथ अनुबंध, यदि कोई हों।

(दस) वित्तीय स्थिति–

(क) वर्ष के लिए संस्था का प्रस्तावित बजट,

(ख) अवसंरचना के वार्षिक अनुरक्षण के लिए अपेक्षित धनराशि,

(ग) प्रयोगशालाओं के विकास तथा उन्नयन के लिए अपेक्षित धनराशि,

(घ) वित्तीय संस्थाओं/बैंको के नाम, संस्था के नाम से सावधिक तथा चालू दोनों जमा खाते में किया गया निक्षेप,

(ड.) बैंकों या किसी अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए गये ऋण, यदि कोई हो, अवधि तथा उस पर देय ब्याज को दर्शाते हुए,

(च) संस्था प्रारम्भ से चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सम्यकरूप से अभिप्रमाणित संस्था का बैलेन्स सीट, आय–व्यय लेखा, शैक्षिक व गैर शैक्षिक स्टाफ के वेतन पर व्यय के साथ टी0डी0एस0, फार्म–16 नियुक्ति पत्र तथा अन्य वेतन भुगतान प्रपत्र–पत्र के साक्ष्य।

(ग्यारह) संस्था के वर्तमान इन्फ्रास्ट्रचर व फैकेल्टी को प्रदर्शित करते हुए पॉवर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन।

(बारह) संस्था द्वारा मानक फीस से ज्यादा फीस की अपेक्षा के लिए संस्था को न्याय संगत विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना होगा।

प्रोसेसिंग फीस

6–संस्था को आवेदन-पत्र के साथ डिग्री स्तरीय संस्थाओं के लिए रू0 30,000/– एवं डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के लिए रू0 15,000/– प्रोसेसिंग फीस समिति के पक्ष में जमा करना होगा। संस्थाओं से प्राप्त प्रोसेसिंग की धनराशि के उपयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा पृथक से प्रक्रिया निर्धारित की जायेगी।

7–समिति द्वारा निर्धारित फीस संस्था में प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्र–छात्राओं के संस्था से पाठ्यक्रम को पूर्ण करने तक प्रयोज्य होगी। इस प्रकार नियत फीस में छात्रावास फीस, विश्वविद्यालय/बोर्ड परीक्षा फीस एवं काशनमनी की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार की फीस सम्मिलित होगी। समिति द्वारा अभिनिश्चित उक्त फीस ही ट्यूशन फीस के रूप में मान्य होगी।

संस्थानों का निरीक्षण

8–ऐसी संस्थायें जो विनियम–4 के उपविनियम (3) में निरीक्षण हेतु संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करती हैं, के आवेदन-पत्रों में वर्णित तथ्यों के आवश्यकतानुसार सत्यापन हेतु एक निरीक्षण दल का गठन किया जाएगा जिसमें राज्य सरकार द्वारा नामित एक प्रतिनिधि, समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित शिक्षाविद् एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा संबंधित जिलों के जिलाधिकारी द्वारा नामित एक अधिकारी (जो परगनाधिकारी स्तर से कम स्तर का न हो) सम्मिलित होंगे। निरीक्षण दल संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी/आंकड़े/दस्तावेजों का निर्धारित नियमों के सन्दर्भ में जांच की जायेगी और जब भी आवश्यक हो, तो फीस का निर्धारण किये जाने के लिए संस्था द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का सत्यापन किया जाएगा। यदि निरीक्षण दल द्वारा जांचोपरान्त कोई अनियमितता पायी जाती है, तो संबंधित सोसायटी/ट्रस्ट/संस्था को उक्त अनियमितता के सम्बंध में अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकेगा जिस पर विचारोपरान्त समिति फीस निर्धारण के बिन्दु पर निर्णय करेगी तथा आवश्यकतानुसार ऐसी सोसायटी/ट्रस्ट/संस्था के विरूद्ध संबंधित सांविधिक निकाय को दण्डात्मक कार्यवाही की संस्तुति करेगी।

9–संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की जाँच के लिए राज्य सरकार द्वारा 10 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मों का पैनल नामित किया जायेगा, उक्त पैनल से किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म को समिति के अध्यक्ष द्वारा संस्था विशेष हेतु फीस नियत किये जाने के संबंध में उल्लिखित कार्य सौंपा जायेगा।

10–किसी भी संस्था द्वारा समिति द्वारा नियत फीस से भिन्न कोई भी कैपीटेशन फीस अथवा अन्य फीस छात्रों से नहीं लिया जायेगा।

शास्तियाँ

11– समिति का यदि यह समाधान हो जाता है कि किसी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्था द्वारा अधिनियम या विनियमावली या सुसंगत शासनादेशों के किसी उपबंध का अतिक्रमण किया गया है अथवा समिति द्वारा नियत फीस से अधिक फीस छात्रों से ली जा रही है अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानक से निम्न स्तर की शैक्षणिक सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं, तो ऐसी दशा में समिति संस्था के विरूद्ध निम्नलिखित कोई या सभी शास्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति उपयुक्त सांविधिक निकाय /राज्य सरकार को करेगी:–

(1) जुर्माना

(2) किसी पाठ्यक्रम को बन्द करना अथवा प्रवेश क्षमता में कमी करना

(3) संस्था की सम्बद्धता/मान्यता समाप्त करना

सार्वजनिक प्रदर्शन

12– समिति द्वारा निर्धारित फीस की सूचना सम्बंधित संस्थान को पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित की जाएगी एवं जनसाधारण के लिए समिति की अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर समिति द्वारा निर्धारित फीस की सूचना अपनी अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना संबंधित संस्था के लिए आज्ञापक होगा।

आज्ञा से,
मोनिका एस0 गर्ग,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 4781/Sixteen-1–14(34)-2014, dated December 22 , 2015 :

No. 4781/Sixteen-1–14(34)-2014

Dated Lucknow, December 22, 2015

IN exercise of the powers under section 14 of the Uttar Pradesh Private Technical Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) Act-2006, (U.P. Act no. 24 of 2006) the Governor is pleased to make the following regulations:-

THE UTTAR PRADESH PRIVATE TECHNICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATION OF ADMISSION AND FIXATION OF FEE) REGULATIONS, 2015

Short title and commencement

1. (1) These regulations may be called as the Uttar Pradesh Private Technical Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) Regulations, 2015.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Definition

2. In these regulations, unless there is anything repugnant in the subject or context-

(a) "Act" means the Uttar Pradesh Private Technical Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) Act 2006;

(b) "Board" means the Uttar Pradesh Pravidhik Shiksha Parishad;

(c) "Chairman" means the Chairman of the Committee for admission and fee regulation constituted under sub-section (1) of the section 4 of the Act;

(d) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh;

(e) "Institution" means an aided institution or private institution affiliated to the University or the Board.

(f) "Rules" means the Uttar Pradesh Private Professional Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) (Constitution of Committee) Rules, 2008;

(g) "University" means Dr APJ Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh;

Constitution of Committee [Section 14(2)(a)]

3. The Committee shall consist of :-

(1)	The Principal Secretary/ Secretary Technical Education	*Chairman*
(2)	The Secretary/Special Secretary Finance	*Member*
(3)	The Registrar of the University (for degree-level courses)/The Director Technical Education (for diploma level courses)	*Member*

Manner/criterion of determination of fee [Section 14 (2)(b)]

4. (1) The Committee may fix Standard Fee including tution fee and development charges, for such institutions as are following the norms, guidelines and standards prescribed by the All India Council for Technical Education/Pharmacy Council of India Council of Architecture etc.,

(2) The Chairman of the Committee may constitute a sub-committee to assist it in the fixation of Standard Fee. The sub-committee shall consist not more than six members including the Chairperson of the sub-committee.

(3) If any institution referred to in sub-regulation (1) requests to the committee to fix a fee higher than the Standard Fee because it is an institute of excellence offering specific, useful and job-oriented courses or is purchasing latest equipments for specific course for student welfare, or for any other reason, then in the interest of growth of technical education and its quality, the Committee shall consider the institution's request for higher fee. Further, also if an institution requests to fix a fee lower than the Standard Fee because it is an institution of charitable nature or it is also involved in philanthropic work or for any other reason, the Committee shall consider the institution's request for lower fee. The Committee shall give the institution an opportunity of being heard before fixing its final fee

(4) The Committee shall fix the fee having regards to the following :-

(i) **Expenses on Depreciation**- Straight line method shall be applied and the revised rates mentioned in the Companies Act, 1956 will be taken into account.

(ii) **Expenditure on Advertisement**-Maximum 1% of the total expenses of the institutions on advertisement required for new courses and college related activities through newspapers, hoardings, magazines etc. will be allowed.

(iii) **Expenditure on Development**-Maximum of 10% development charges will be allowed.

(iv) **Expenditure due to inflation** - The basis of the average of the rates of Consumer Price Index of last three years will be considered for calculating the average rate applicable for next three years, for the purposes of allowing inflation on expenses.

(v) **Expenditure on Salary** - The expenses on salary of teaching and non-teaching staff supported by Tax Deducted at Source certificates, Form-16, appointment letters and other proofs of payment of salary shall be considered.

(vi) **Expenditure on interest**- If the Institution has taken loan from any nationalized bank for infrastructure and other fixed capital assets, and the interest on above loan is paid by the institution, then 25% of the interest paid or Rs. 3,000 for degree courses /Rs 1000 for diploma courses, per sanctioned number of students, whichever is less, shall be considered as expenses;

Provided that the interest paid on the loan taken for hostel and other works, for which the institution is charging money from the students shall not be considered.

(vii) **Direct recurring expenses**-The expenses on purchasing periodicals, journals and lab consumables will be considered as recurring expenses but expenditure on books will be considered as capital expenses.

(viii) **Total expenses per student:** -The expenses of an institution shall be determined by considering different types of expenses and dividing it by the number of seats sanctioned by All India Council for Technical Education.

(ix) **Expenditure on electricity:** - The expenses on electricity utilized in an administrative building and in laboratories for operating equipments excluding the expenses on electricity utilized in hostel, staff quarters and mess will be considered.

Application for fixing fee higher than standard fee

5. The institute as mentioned in sub-regulation (3) of regulation 4 shall submit the pplication to the Committee upto 30th October, accompanied by following documents :-

(i) The authorization/permission letter issued by the all India body controlling and regulating the technical studies such as the All India Council for Technical Education/Pharmacy Council of India/Council of Architecture.

(ii) Documents regarding registration of the Society and its renewal.

(iii) A copy of Project Report for starting the technical educational institution.

(iv) The physical infrastructure facilities available for the institution, its title, ownership, the building, stating the number of classrooms, the administrative block, rooms available for library, reading, hostel and mess, play grounds, laboratory, general utilities, together with the site plan.

(v) Library Facilities- Number of books, journals and periodicals etc., subject wise, faculty wise and for general reading.

(vi) Reading room Facilities- Number of daily, weekly, monthly magazines, periodicals, technical magazines and literature subscribed in institution along with e-journals.

(vii) Laboratory Facilities- Information regarding equipments and instruments available in the laboratory.

(vii) The audited balance-sheet of last three years prior to the year for which the Institution has submitted application,

(ix) Tie-up, if any, with a State enterprise, public/corporate body engaged in production of items relevant to the education provided by the institution.

(x) Financial status:-

(a) proposed annual budget for the institution for the year,

(b) amount required for annual maintenance of infrastructure,

(c) amount required for development and up-gradation of laboratories,

(d) fixed and current deposits in the name of the institution, along with the name of financial institutions/banks,

(e) loans, if any, from a bank or any other financial institution, indicating the terms and interest payable thereon,

(f) balance-Sheet and income and expenditure account of the institutions from the date of inception, duly authenticated by a Charted Accountant, along with details of expenses on salary of teaching and non-teaching staff supported by Tax Deducted at Source certificates, Form-16, appointment letters and other proofs of payment of salary,

(xi) the power point presentation of the institution showing pictures of existing infrastructure and faculty,

(xii) detailed note with justification, why the institute wishes to have Fee higher than the Standard Fee.

Processing Fee

6. The technical institution will deposit, along with the application, a processing fee of Rs. 30,000/- for degree level institutions and Rs. 15,000/- for diploma level institutions, in favour of the Committee. The procedure for utilisation of the processing fee such deposited shall be laid down by the State Government separately.

7. The fee decided by the Committee shall be applicable to the students being admitted in the first year till the completion of their course. The fee so fixed shall include all types of fee except hostel fee, University/Board Examination fee and caution money. The Fee as decided by the Committee shall be considered as tuition fee.

Inspection of institutes

8. For inspection of institutes which apply under sub-regulation (3) of regulation 4 for verification of the facts presented in their application, the Chairman shall constitute an inspection team which will include a representative nominated by the Government, an educationist, a Chartered Accountant nominated by the Chairman and an officer (not below the rank of Sub-Divisional Officer) nominated by the District Magistrate of the concerned district. The inspection team will verify the facts, figures/documents mentioned in the proposal and shall assess them with reference to the established norms if required. If any irregularity is found by the inspection team, the institution/society may be asked to submit its representation in the matter and the Committee, after considering the same, shall decide the issue of fee fixation, and shall also recommend to the statutory authority for penal action against such society/Trust/institution, if required.

9. A panel of 10 Chartered Accountants firms will be nominated by the State government for the assessment and verification of records submitted by the institutions. The Chairman will allot the above mentioned works for fixing the fee of a specific institution to a Chartered Accountant selected from the above panel. The Chairman will seek assistance from such Chartered Accountants for fixing Standard Fee.

10. No capitation fee, other than the fee fixed by the Committee, shall be charged or collected from the students by any institution.

Panalties — 11. The Committee, if satisfied that any aided or unaided technical educational institution has violated any of the provisions of the Act or these regulations or relevant Government orders or is charging more fee than the fee fixed by the Committee or the institution is not providing educational facilities according to the norms of All India Council for Technical Education shall make a recommendation to the appropriate statutory body/ State Government to impose any or all of the following penalties against the institution :-

(1) fine,

(2) closure of any course or reducing the intake of a course,

(3) withdrawal of the affiliation or recognition of the institution,

(4) any other penalty laid down by the Committee.

Public display — 12. The Fee Fixation Orders issued by the Committee shall be sent to the institute by registered post and details of fee will also be available for public on the authorised website of the Committee. It shall be mandatory for the institute to display the details of the fee on its own institutional website, within a week of the receipt of the Committee's order fixing its fee.

By order,

MONIKA S. GARG,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 7 राजपत्र (हि०)–(1640)–2015–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / ट्रे0 / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 5 प्राविधिक शिक्षा परिषद्–(1641)–2015–400 प्रतियां (कम्प्यूटर / ट्रे0 / आफसेट)।

E:\Pravidhik Shiksha\712 R Niyamawali- Pra-Shiksha-2015.doc-data-1-E